



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 159455



(प्रारूप-"अ") शपथ-पत्र

हम एचएम शीर्षा एवं देवनाथ शीर्षा कन्या अपत्य एवं सचिव पंचशील महाविद्यालय सम्प्रदा अशोक नगर, इलाहाबाद बुध्दुर्ग, जिला-रायबरेली शपथ पूर्वक बयान करते हैं -

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा पंचशील कलेज ऑफ फार्मेसी, सम्प्रदा अशोक नगर, इलाहा बुध्दुर्ग, जिला-रायबरेली नामक डिपार्टमेंट इन फार्मेसी संस्थान को स्वामत्वा स्वरु 2023-24 से किया जाने प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम से सम्प्रदा अशोक नगर, इलाहा बुध्दुर्ग, जिला-रायबरेली के माटा संख्या 1499MA में खूब रकबा 14480 हे० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त भू पर ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के माटा संख्या 1499MA रकबा 14480 हे० पर उपरोक्त नाम की डिपार्टमेंट राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थान को स्वामत्वा किया जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.01.2020 द्वारा करार किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिपार्टमेंट फार्मेसी संस्थान के सम्पत्तियों हेतु मकानों की निर्माण अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।

Sworn & Verified
Before Me,

R.C. VERMA

(Signature)

NOTARY

Lucknow (U.P.) INDIA

Date

09/10/23

उत्तर प्रदेश
पंचशील/सचिव
पंचशील महाविद्यालय (इएए)
सम्प्रदा अशोक इलाहा बुध्दुर्ग-रायबरेली

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर भवनों पर फार्मती काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मती संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मती काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम में प्रविष्टि प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि न इस पर निर्मित भवनों में फार्मती काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईटीआईए आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लेम चर्ज, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मती काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट/सॉसाइटी द्वारा लक्ष्य प्राप्त के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निगंत निर्देशों/अदेशों का तत्कालीन पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/एस्तवेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निगमानुसार कानून, सख्त कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



पुनः
हो भव्य

हो सविग
हो सविग

R.C. VERMA प्रबन्धक/सचिव
(Notary) सचिव महाविद्यालय (इंजी)
हो भव्य हो भव्य

हो भव्य हो भव्य
हो भव्य हो भव्य

NOTARY
Lucknow (U.P.)
Date.....

02/09/23

I have not observed / determined who has signed this before me.